दिल्ली विधान सभा सचिवालय
DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति
REPORT OF THE
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILL & RESOLUTION

बारहवां प्रतिवेदन

(15 जुलाई, 2002 को सदन में प्रस्तुत)

(Presented on 15th July, 2002)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन
बारहवां प्रतिवेदन

(दिनांक 15 जुलाई, 2002 को सदन में प्रस्तुत)

समिति का गठन:

1	चौ0 प्रेम सिंह, माननीय अध्यक्ष	सभापति
2	श्री मंगत राम सिंघल	सदस्य
3	श्री रमाकांत गौस्वामी	सदस्य
4	श्री राम भज	सदस्य
5	श्री जय भगवान अग्रवाल	सदस्य
6	श्री राम सिंह नेताजी	सदस्य
7	श्री अरविन्दर सिंह लवली	सदस्य

सचिवालय

1	श्री एस के शर्मा	सचिव
2	श्री सिद्धार्थ राव	संयुक्त सचिव
3	श्री जी सी मेहता	अवर सचिव

प्रतिवेदन

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति की बैठक दिनांक 11.7.2002 को अपराहन 4.00 बजे माननीय अध्यक्ष दिल्ली विधान सभा के कक्ष में हुई ।

समिति को सूचित किया गया कि निम्नलिखित विधेयक जो पहले से हो पुर:स्थापित किये जा चुके हैं, को विचार के लिये सूचीबद्ध किया जाना है :

1. दिल्ली लोकयुक्त और उप लोकायुक्त (दूसरा संशोधन)विधेयक 2001,श्री मुकेश शर्मा
2. समितियों एवं रोजगार योजनाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दिल्ली आरक्षण विधेयक, 2001, श्री मुकेश शर्मा

समति ने निर्णय लिया कि इन विधेयकों को विधान सभा के अगले शीतकालीन सत्र में विचारार्थ रखां जाय तथापि, शुक्रवार, 19 जुलाई,2002 (गैर सरकारी सदस्यों के दिन) जो नये विधेयक प्राप्त हुए हैं, यदि वे उचित रूप में हों, तो उन्हें पुर:स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा तीन संकल्पों को, जिन्हें बेलेटिंग में प्राथमिकता प्राप्त हुई है, उनकी महत्ता के मद्देनजर, विचारर्थ सूचिबद्व किया जा सकता है ।

समिति को सूचित किया गया कि निम्नलिखित 2 गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की सूचना इस सत्र में प्राप्त हुई है :-

1. दिल्ली भूमि सुधार संशोधन विधेयक, 2002 -श्री नन्द किशोर गर्ग
2. शादियों में अत्याधिक अपव्यय करने पर प्रतिबन्घ विधेयक, 2002 -श्रीमति किरण चौघरी

पहले विधेयक के संबंध में समिति को विधि विभाग द्वारा दी गई राय के बारे में अवगत कराया गया जिसमें यह कहा गया है कि यह विषय राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या-18 के अंतर्गत आता है, इसलिये दिल्ली विधान सभा इस विधेयक में संशोधन करने में सक्षम नहीं है । तथापि, समिति के सदस्यों की राय कुछ भिन्न थी और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि सचिव, विधि से अनुरोध किया जाये कि वे वस्तुस्थिति की जानकारी देने हेतु समिति की अगली बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों और तब तक विधेयक को लंबित रखा जाये ।

समिति ने यह निर्णय लिया कि श्रीमती किरण चौधरी से प्राप्त शादियों में अत्याधिक अपव्यय करने पर प्रतिबन्ध विधेयक,2002 को आगामी सत्र में शुक्रवार 19 जुलाई, 2002 को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ।

संकल्प

समिति को सूचित किया गया कि सचिवालय को कुल 25 संकल्पों की सूचना प्राप्त हुई है जिसमें बैलेटिंग में तीन संकल्पों को स्थान प्राप्त हुआ है । समिति ने निर्णय लिया कि इन्हे शुक्रवार 19 जुलाई, 2002 को सूचीबद्व किया जाये और इनके लिये प्रत्येक के समक्ष दर्शाया गया समय आंबंटित किया जाये :-

क्र.सं.	**सदस्य का नाम**	**संकल्प का पाठ**	**आवंटित समय**
1	श्री मोहन सिंह बिष्ट	यह सदन संकल्प करता है कि बरसात के मौसम को मददेनजर रखते हुए राजधानी की सभी अनाधिकृत कालोनियों से बरसाती एवं गन्दें पानी की निकासी के लिए विधायक फण्ड से धनराशि खर्च करने की व्यवस्था की जाए ।	40min
2	श्रीमति किरण चौधरी	यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली में सभी को शिक्षा प्रदान करने, शत प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने और छात्रों के दाखिले की गंभीर समस्या के मददेनजर सभी सरकारी और निजी शेक्षणिक संस्थाओं, विधालयों और कालेजो को दो शिफटों में चलाना अनिवार्य किया जाय ।	30min
3.	श्री नन्द किशोर गर्ग	यह सदन संकल्प करता है कि इन्द्रपस्थ अपोलो हास्पिटल में दिल्ली सरकार के तीन प्रतिनिधि निदेशकों में कम से कम एक निदेशक दिल्ली विधान सभा के सदस्यों में से हो जिसे अध्यक्ष द्वारा नामांकित किया जाये ।	20min

समिति ने महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों की सहोदर समितियों से विचारों का आदान-प्रदान करने के उददेश्य से इन राज्यों का अध्ययन दौरा करने की इच्छा व्यक्त की । सभापति ने सचिवालय को निर्देश दिया कि अध्ययन दौरे के बारे में इन विधान सभाओं के सचिवालयों से सम्पर्क स्थापित करें ।

समिति ने **श्री मंगत राम सिंगल** और उनकी अनुपस्थिति में **श्री राम भज** को सदन में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रधिकृत किया ।

(चौधरी प्रेम सिह)

सभापति

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों

एंव संकल्पों संबंधी समिति

दिल्ली,

दिनाक : 18/7/2002

Delhi Legislative Assembly Secretariat

Committee on Private Members Bills And Resolution

Twelfth Report

(Presented on 15th July, 2002)

Constitution of The Committee

1.	Ch. Prem Singh, Hon`ble Speaker	Chairman
2.	Shri Mangat Ram Singhal	Member
3.	Shri Rama Kant Goswami	Member
4.	Shri Ram Bhaj	Member
5.	Shri Jai Bhagwan Aggarwal	Member
6.	Shri Ram Singh Netaji	Member
7.	Shri A.S. Lovely	Member

SECRETARIAT

1.	Shri S.K. Sharma	Secretary
2.	Shri Siddharath Rao	Joint Secretary
3.	Shri G.C. Mehta	Under Secretary

REPORT

The meeting of the Committee on Private Member's Bills and Resolutions was held in the chamber of Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly on 11th July, 2002 at 4.00 P.M .

The Committee was informed that following two Bills already introduced in the previous Session are awaiting consideration:-

1.	**The Delhi Lokayukta and Upalokayukta (Second amendment) Bill, 2002- Shri Mukesh Sharma**
2.	**The Delhi Reservation for other Backward classes in Committees and Self-employment Schemes Bill, 2001- by Shri Mukesh Sharma**

The Committee decided that these Bills be taken up for consideration in the next Winter Session. However, on Friday the 19th July, 2002.(Private Member Day) The new bills received, if in order may be introduced. In addition three Resolutions which have found place in balloting be also listed for consideration in view of their importance.

The Committee was also informed that following two new Bills have been received for this Session.

1.	**The Delhi Land Reforms (Amendment) Bill,2002 – Shri N.K. Garg.**
2.	**The Prohibition of Extravagant Expenditure on Marriage Bill,2002 –Smt. Kiran Choudhry**

As regards the first Bill, the Committee was apprised of the opinion of the Law Depptt. that as the subject matter of the Bill is covered under entry 18 of the State List, hence the Legislative Assembly was not competent to make amendment in the Bill. The Committee Members however had different opinion and desired that Law Secrtary may be requested to personally attend the next meeting of the Committee to explain the position and till then the Bill may be kept pending.

The Committee decided that "The Prohibition of Extravagant Expenditure on Marriage Bill,2002" – by Smt .Kiran Choudhry may be allowed to be introduced in the coming session on Friday 19.7.2002.

RESOLUTION

The Committee was informed that,in all the Secretariat had received Notices of 25 Resolutions. However, the following three Resolutions have found place in balloting. The Committee decided that these may be listed on Friday 19th July, 2002 and allotted time as shown against each:-

S.No.	Name of the Member	Text of the Resolution	time allotted
1.	Shri Mohan Singh Bisht	This House resolves that keeping in view the ensuing rainy season, provision be made to spend money from the MLA Fund For purposes of draining out the rainy and dirty water from all the unauthorized colonies of the capital	40 min.
2.	Smt. Kiran Choudhry	This House resolves that with a view to provide education to all, to achieve the target of cent percent literacy and keeping in view the serious admission problems of students it may be made compulsory for all government and private educational institutions, schools and colleges to run in two shifts .	30 min.
3.	Shri Nand Kishore Garg	This House resolves that out of the three representative Directors of Delhi Government in Indraprastha Apolo Hospital, at least one Director may be a member of the Delhi Legislative Assembly to be nominated by the Speaker.	20 min

The Committee desired to undertake a study visit to the States of Mahrashtra, Goa and Karnataka for exchange of views with the sister committees of these States in August. The Chairman directed the Secretariat to get in touch with the Secretariats of these Assemblies for concretising the visit.

The Committee authorized **Shri Mangat Ram Singhal** and in his absence **Shri Ram Bhaj** to present the Report of the Committee to the House.

(CH. PREM SINGH)
CHAIRMAN
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER

Delhi
Dated 12 **July,2002.**